वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. आर. दासमुंशी): (क) ऐसी आशा है कि वर्ष 1989-90 के दौरान रत्न और आभूषणों के निर्यात लगभग 6500 करोड़ रु० के हो जायेंगे ।

(ख) और (ग) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम (1968) के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा बदलती हुई आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सतत प्रक्रिया के रूप में समय समय पर की जाती है ताकि स्वर्ण आभूषण के निर्यात बढ़ाने में पर्याप्त उत्पादक संसाधनों की व्यवस्था की जा सके ।

Overdraft facilities given by Branch Manager, State Bank of Indore

1995. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) how many overdraft facilities were given by the Branch Manager of the State Bank of Indore, Marwari Road Branch, Bhopal during the last two years;

(b) whether the Manager misused his power in granting such overdraft facilities;

(c) if so, what action has been taken against him; and

(d) if no action has been taken, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) State Bank of Indore has reported that the Branch Manager of its Marwari Road, Bhopal Branch sanctioned/permitted overdrafts in 98 accounts aggregating to Rs. 28.82 lakhs during the last two years. In a few cases the Branch Managers have exceeded their discretionary powers.

(c) and (d) The bank has reported that explanation of the Branch Managers concerned has been called for and action considered appropriate will be taken on receipt of their reply in accordance with the rules and procedures laid down in this regard.

1996. [*Cancelled.*]

15 सूत्री कार्यक्रम के अधीन ऋण अदि के संबंध में राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए गए अनुदेश

1997. श्री मोर्जा इर्शादबेग : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 सूत्री कार्यक्रम के अधीन ऋणों तथा अन्य बैंककारी सुविधाओं के संबंध में राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों को क्या अनुदेश जारी किए गए हैं ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर उक्त बैंकों द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों को लागू कर दिया गया है और यदि उन्हें लागू नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुवर्डो फेलेरियो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जाने वाले ऋणों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित हिदायतें जारी की हैं :—

(1) प्रत्येक बैंक में एक विशेष कक्ष स्थापित किए जाये ।

(2) अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को सरल बनाने के उपाय किए जायें तथा इस संबंध में हुई प्रगती की जिला परामर्शदात्री समितियों तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों की बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा की जाए ।

(3) अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले और खासकर पता लगाए गए 40

जिलों में सरकार के गरीबी हटाओ कार्यक्रमों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाए ।

(4) इन 40 जिलों में से प्रत्येक जिले में केवल अल्पसंख्यक सम्प्रदायों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह से संबंधित समस्याओं को देखने के लिए एक अधिकारी होना चाहिए यह उस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह बैंक ऋणों के विभिन्न कार्यक्रमों का उनके बीच प्रचार करे और शाखा प्रबन्धकों के सहयोग से उनके लाभ के लिए उपयुक्त योजनायें तैयार करे ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी बताया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस संबंध में सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिदायतें जारी कर दी हैं ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं और इस संबंध में हुई प्रगति पर जिला परामर्शदात्री समिति/राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में नजर रखी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गयी हिदायतें उन सभी राज्यों पर लागू होती हैं जिनमें पता लगाए गए ये 40 जिले स्थित हैं ।

महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उत्पाद-शुल्क का संग्रहण

1998. श्री विश्व सराव रामराव पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1979-80 से 1984-85 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने बिजली उत्पादन पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बाबत लगभग 162.08 करोड रुपए इकट्ठा किए हैं और इस प्रकार इकट्ठी की गई राशि को भारत सरकार को दिया गया जिसमें 131.57 करोड रुपए महाराष्ट्र सरकार को वापस कर दिए गए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार केन्द्रीय सरकार से बकाया 30.51 करोड रुपए की राशि की बार-बार मांग कर चुकी है परन्तु अब तक न तो कोई राशि वापस की गई है और न ही इस संबंध में कोई उचित आश्वासन ही दिया है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर "हां" हो, तो बकाया राशि के वापस भुगतान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री जी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) : महाराष्ट्र सरकार यह दावा करती आ रही है कि 1979-1980 से 1985-86 तक (30 सितम्बर, 1984 तक) के दौरान महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन पर उत्पाद-शुल्क के रूप में उगाही गई वास्तविक राशि 162.08 करोड थी जिसमें से 131.57 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार द्वारा वापस कर दी गई थी और यह कि 30.52 करोड रुपए की शेष राशि राज्य सरकार को अदा कर को दर दी जाए ।

1979-80 से 1984-85 तक (30 सितम्बर, 1984 तक) के दौरान विद्युत उत्पादन पर उत्पाद शुल्क की वापसी संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 में निर्धारित प्रतिशत अनुपात हिस्सों के अनुसार की गई है । तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा 131.57 करोड रुपए बनता था । इस राशि की अनन्तिम तौर पर वापस अदायगी कर दी गई थी जिसका भारक के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रमाणित आंकडों के आधार पर अन्तिम रूप से समायोजन किया जाना है ।

चूंकि उत्पाद शुल्क की निवल प्राप्ति की वापसी संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत वितरण अधिनियम, 1980 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कर दी गई है, इसलिए मुख्य मंत्री के अनुरोध को मानना तथा राज्य सरकार को पहले से ही अदा किए जा चुके हिस्से पर पुनर्विचार संभव नहीं हो पाया है।